न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 181/2019

GCMS NO. : 2019/00300

–:: प्रार्थीगण ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. बाबूलाल पुत्र बक्साराम जाति– सरगरा, निवासी– देवरिया, तहसील– जैतारण जिला–पाली।
2. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति– मेघवाल, निवासी– डिगरना, तहसील– जैतारण जिला–पाली।

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र जोधाराम जाति– रेगर, निवासी– खेड़ा महाराजपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
2. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 128 भू–राजस्व अभिनियम

तारीख रजू:.11/07/2019

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉंकः– 03/03/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 111/2 रकबा 29–03 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मौके पर अलग है तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी तरमीम हो रखी है तथा दोनों प्रार्थीगण इस आराजी का सामालाती उपयोग उपभोग करते है तथा दाना का संयुक्त रूप से मौके पर काश्त है। नकल जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिससे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में जाने के लिये मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है न ही कोई राजस्व में रास्ता है। प्रार्थीगण की आराजी के उत्तर दिशा में कुछ खातेदारी भूमिया आई हुई है एवं कुछ भाग में गौचर भूमि जो खेड़ा महाराजपुरा की सरहद की है इस गौचर भूमि के खसरा नम्बर 111 है। जिसका रकबा 957–05 बीघा है तथा ज्योहि खसरा नम्[illegible] उत्तर दिशा में सरहद फुलमाल आ जाती है और वह भी आराजी गै.[illegible] है। जिसके खसरा नम्बर 450 है एवं रकबा 202–03 बीघा है। इस प्रकार [illegible] की आराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 111 जो सरहद मौजा [illegible] महाराजपुरा एवं उसके आगे खसरा नम्बर 450 जो सरहद मौजा फुलमाल [illegible] है तथा उसे आगे डामर सड़क जो कि फुलमाल से आसरलाई तक जाती है। जहा से प्रार्थीगण की भूमि में रास्ता निकलता है। इस गै.मु गौचर की भूमि में से होकर के पहले प्रार्थीगण अपने आराजी में आते जाते रहते थे। प्रार्थीगण की भूमि में जो वर्तमान में रास्ता चल रहा है उसको नजरी नक्शे में लाल रंग से मार्क ए, बी, सी, डी दर्शाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गया है। परन्तु रेकर्ड में यह रास्ता तरमीम नहीं है तथा मौके पर इन दोनो खसरो में रास्ता चलता है जिसमें प्रार्थीगण अपने आराजी में आते जाते है और इसी रास्ते से अपने वाहन जैसे टेक्ट्रर ट्रोली, कल्टी, हल या अपना पशुओं को लाते है एवं अपने आराजी में काश्त करते है एवं उपयोग करते है। नकल नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण नजरी नक्शे में बताये रास्ते से अपने आराजी खसरा नम्बर 102 में काफी समय से आता जाता है, परन्तु दिनांक 15.12.2019 को अप्रार्थीगण जो कि खसरा नम्बर 111/5 रकबा 10 बीघे का खातेदार है। उसने गांव के कुछ लोगो के साथ मिलकर प्रार्थीगण की भूमि में आ रहे रास्ते को अपने खातेदारी भूमि के सामने पश्चिम दिशा में रास्ते को बन्द कर दिया एवं रास्ते की भूमि को जो कि गौचर है। उसको अपने आराजी में मिलाते हुये अप्रार्थीगण ने अवैध अतिक्रमण कर मिट्टी की पाल लगा दी एवं कांटे रखकर प्रार्थीगण को इस रास्ते से आने जाने हेतु विवाद करने लग गया एवं मौके पर अप्रार्थीगण की आराजी का रकबा 10 बीघा का है जिससे ज्यादा भू भाग पर अतिक्रमण करते हुये कब्जा कर लिया है एवं प्रार्थीगण को उनके आराजी में जाने के लिये रोक दिया एवं सीमा को लेकर भी विवाद करने लग गया। तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से समझाईश की एवं रास्ता खोलने का भी आग्रह किया तथा जमीन का आर आई पटवारी से नाप चौप का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से इंकार हो गया एवं प्रार्थीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि वह इस रास्ते से नहीं जाने देगा तथा गांव के अन्य लोगो के साथ मिलकर जो अन्य प्रार्थीगण के पड़ोसी है उनको भी साथ मिलाकर प्रार्थीगण की आराजी पर सीमा विवाद करेगा एवं प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करेगा। यदि अप्रार्थीगण अपने गैर कानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाते तथा प्रार्थीगण की आराजी में जाने का रास्ता बन्द कर देते या उसके साथ सीमा को लेकर विवाद करते है तो प्रार्थीगण अपने आराजी में नहीं जा सकेगें तथा हमेशा के लिये काश्त से वंचित हो जायेगें। जिससे प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं है तथा प्रार्थीगण अपनी जायज हक व अधिकारों से भी वंचित हो जायेगें। इसलिये प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक उपचार नहीं होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान व कायम कराने रास्ता का विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध कर देने से तथा सीमा को लेकर [illegible] करने से प्रार्थीगण ने दिनांक 19.12.2019 को तहसीलदार जैतारण के समक्ष उपस्थित हुआ एवं एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी [illegible] वाले रास्ते को खुलवाया जावें तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 की आराजी का मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान करवाया जावें। तब तहसीलदार जैतारण प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया एवं प्रार्थीगण को कहा कि रास्ता कायम कराने के लिये सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करावें एवं कहा कि प्रार्थीगण का रास्ता गौचर भूमि से होकर निकलता है। इसके लिये प्रार्थीगण को रास्ते में उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आने वाली भूमि के रकबे के बराबर भू भाग राजस्थान सरकार के पक्ष में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सरेन्डर करनी होगी, तब प्रार्थीगण के पास दूसरा वैकल्पिक उपचार नही होने सेयह प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायम कराने व सीमाज्ञान कराने का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 111/2 में आने जाने हेतु रास्ता नजरी नक्शे में वर्णित लाल रंग मार्क ए, बी, सी, डी का वर्षो से चल रहा है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता तरमीम नही होने से प्रार्थीगण को भविष्य में कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ेगा तथा अप्रार्थीगण व अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उक्त रास्ता नहीं खोला गया तो भी प्रार्थीगण अपनी आराजी में नही जा सकेगें इसलिये प्रार्थीगण अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता जो कि खसरा नम्बर 111 गै० मु. गौचर सरहद खेड़ा महाराजपुरा व खसरा नम्बर 450 गै.मु. गौचर सरहद फुलमाल से अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता कायम करना चाहता है और इसके बदले प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में से जितना रकबा रास्ते की भूमि जायेगा उतना रकबे की भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सरेन्डर करने को तैयार है। इसलिये उक्त दोनो खसरो में से प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु रास्ता कायम किया जावें तथा सम्पूर्ण रास्ते का नाप चौप किया जावें तथा रास्ते के अडौस पड़ोस में आने वाले भूमियो में से भी प्रार्थीगण को भविष्य में कोई परेशानी नही हो। इसलिये सीमाज्ञान करवाया जाकर सम्पूर्ण भू भाग का नाप चौप करवाया जावें। प्रार्थीगण अपने आराजी मे जाने हेतु जो नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी लाल रंग से प्रस्तावित रास्ता बताया है उस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। जिससे प्रार्थीगण अपने आराजी में जाने हेतु उपयोग उपभोग कर सके तथा प्रार्थीगण नजरी नक्शे में बताये रास्ते से पहले आते जाते रहते थे। परन्तु अप्रार्थीगण का बीच में रास्ते को बन्द कर दिया एवं सीमा को लेकर विवाद करने लग गये। इसलिये रास्ते को नजरी नक्शे के अनुसार किया जावें एवं सीमाज्ञान कर नाप चौप करवाया जावें। इसके बदले में प्रार्थीगण नियामानुसार जो भी राशि या अपने खातेदारी भूमि से रास्ते की भूमि के लिये बनने वाले रकबे के बराबर अपने से मे से उतना रकबा रकबा राज्य सरकार के पक्ष में सरेन्डर करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण को इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा अपनी भूमि में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थना पत्र पर लगने वाला न्याय शुल्क सादर पेश है। अन्य उजर बरवक्त बहस के निवेदन किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात [illegible] से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 111/2 [illegible] 2[illegible]3 बीघा में जाने हेतु जो प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में [illegible] से दर्शाया गया है उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम कर मौके पर 30 फीट रास्ता प्रार्थीगण के हक में इन्द्राज करवाया जावें तथा उक्त [illegible]ा सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा के खसरा नम्बर 111 गै.सु. गौचर एवं सरहद मौजा फुलमाल के खसरा नम्बर 450 गै.मु. गौचर मे प्रस्तावित है। इसलिये उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कायम करवाया जावें तथा रास्ते की भूमि के उपयोग के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जाने वाले रकबे के बराबर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे से सरेन्डर कर देगें या राशि जमा करवा देगा एवं रास्ते में दर्ज किये जाने वाले भू भाग का सम्पूर्ण पैमाईश कर नाप चौप करवाया जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे व जमाबन्दी में भी रास्ता अलग से तरमीम कर दर्शाया जावें तथा अप्रार्थीगण भविष्य में रास्ते की भूमि को लेकर कोई विवाद या सीमा विवाद नही करे इस बाबत रास्ते की भूमि और अप्रार्थीगण की भूमि तथा स्वयं प्रार्थीगण की भूमि का नाप चौप कर सीमाज्ञान करवाया जायें एवं मौके पर पैमाईश कर रास्ता कायम किया जावें एवं प्रार्थीगण के हक में रास्ता कायम कराने का प्रार्थना पत्र मंजूर करवाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार जैतारण द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो सामिल मिसल की गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई एवं गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच के लिये तथा भूमि को नियमानुसार संपरिवर्तन आदि कराये जाने हेतु निकटतम अभिलिखित रास्ता से वैकल्पिक 30 फीट चौड़ा रास्ता जो कि अभिलिखित रास्ता एवं खातेदारी भूमि के मध्य स्थिति सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण के खसरा संख्या 111 व 450 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि से प्रस्तावित किया है तथा साथ ही रास्ते के एवज में रास्ते के लिये आवश्यक रकबे के बराबर भूमि गौचर भूमि के निकटतम स्थित अपनी खातेदारी भूमि में से कम की जाकर गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति या नियमानुसार राज कोष में राशि जमा करवा दिये जाने तथा खातेदारी भूमि का पैमाईश व पत्थरगढ़ी करवाये जाने की इस्तदुआ की है।

2. भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ा महाराजपुरा के खसरा संख्या 111/2 रकबा 29-03 बीघा के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक प्रकृति का है। निकटतम अभिलिखित रास्ता फूलमाल से आसरलाई ग्रैवल सड़क खसरा संख्या 449 है, उक्त अभिलिखित रास्ते से ग्राम फूलमाल के खसरा संख्या 450 रकबा 202-06 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 1069 फीट लम्बा अर्थात कुल [illegible] 17 बीघा तथा ग्राम खेड़ामहाराजपुरा के खसरा संख्या 111 रक[illegible]05 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौ[illegible] अर्थात 51150 वर्गफीट अर्थात 2-19 बीघा कुल रकब[illegible] है। उक्त भूमि गैर मुमकिन गौचर होनें से रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि [illegible] बराबर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 111/2 रकबा 29-03 बीघा में से 04-17 बीघा जो कि निकटतम गोचर भूमि खसरा संख्या 111 से लगती हुई हो तथा जोकि पूर्व से स्थित गोचर भूमि का सामान्य भाग बन सके, भूमि खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

द्वारा गोचर भूमि क्षतिपूर्ति हेतु समर्पित करवाई जाकर रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जा सकता है।

3. राजस्व(ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्रांक प.2(63)राज–9/2014 दिनांक 29.09.2014 में यह प्रावधान है कि "प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में से रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करनें पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रेकॉर्ड दर्ज किया जावें। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्त चाहा गया है, कि भूमि में रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को विनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावें।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 111/2 ग्राम खेड़ा महाराजपुरा तक पहुंच के लिये वांछित रास्ते आत्यंतिक प्रकृति का है तथा वर्तमान में भू अभिलेख में कोई पहुंच मार्ग अभिलिखित नहीं है। निकटतम अभिलिखित रास्ता फूलमाल–आसरलाई मार्ग खसरा संख्या 449 से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 111/2 ग्राम खेड़ा महाराजपुरा तक न्यूनतम एवं निकटतम पहुंच मार्ग के लिये ग्राम फूलमाल के खसरा संख्या 450 रकबा 202–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 1069 फीट लम्बा अर्थात कुल 32070 वर्गफीट अर्थात् 01–17 बीघा तथा ग्राम खेड़ामहाराजपुरा के खसरा संख्या 111 रकबा 957–05 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 1705 फीट लम्बा अर्थात् 51150 वर्गफीट अर्थात 2–19 बीघा कुल रकबा 4–16 बीघा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार है। अतः उक्त भूमि के बराबर गौचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ा महाराजपुरा के खसरा संख्या 111/2 रकबा 29–03 में से गौचर भूमि से लगते हुये भाग की ओर की रकबा 4–16 बीघा भूमि खातेदारान् समर्पित किये जाने पर, संलग्न प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण के खसरा संख्या 111/2 रकबा 29–03 तक पहुंच के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता फूलमाल–आसरलाई मार्ग खसरा संख्या 449 से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या [illegible] ग्राम खेड़ा महाराजपुरा तक न्यूनतम एवं निकटतम पहुंच मार्ग के लिये ग्राम फूलमाल के खसरा संख्या 450 रकबा 202–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 1069 फीट लम्बा अर्थात कुल 32070 वर्गफीट अर्थात् 01–17 बीघा तथा ग्राम खेड़ामहाराजपुरा के खसरा संख्या 111 रकबा [illegible]7–05 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 30 फीट चौड़ा व 1705 फीट लम्बा अर्थात् 51150 वर्गफीट अर्थात 2–19 बीघा कुल रकबा 4–16 बीघा भूमि नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व(ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्रांक प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(63)राज–9/2014 दिनांक 29.09.2014 की अनुपालना में गौचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ा महाराजपुरा के खसरा संख्या 111/2 रकबा 29–03 में से गौचर भूमि से लगते हुये भाग की ओर की रकबा 4–16 बीघा भूमि खातेदारान् द्वारा समर्पित किये जाने पर, संलग्न प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है, तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खातेदारान् से रास्ता प्रयोजनार्थ आवश्यक उपर्युक्त गौचर भूमि क्षतिपूर्ति खातेदारी आराजी खसरा संख्या 111/2 रकबा 29–03 बीघा में से 04–16 बीघा भूमि समर्पित करवा कर खातेदारी आराजी मे से कम की जाकर इसे गैर मुमकिन गौचर दर्ज करते हुये उपर्युकत आदेश की अनुपालना करें। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 03/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested